

20/5/11

आदेश

का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व
 पुरासा के पश्चात ग्राम मण्डौर के खाना सं. 22, 175, 149, 69, 24 खसरा नं. 204, 491,
24, 857, 391, 412, 557/1 में आवेदन पत्र अनुसार किशोर पुत्र शरण के लजाव
किशोर पुत्र शरण शुद्धि किये जाने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार फागी को
 निजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन
 होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश कैम्प FR C
 पंचायत मण्डौर में दिनांक 20.5.25 को मजमेआम में सुनाया गया।



(Signature)
 उपस्थित अधिकारी
 फागी, जिला - (जयपुर)